

# फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

पत्रांक: 154/19/वि0प्रा0/मानचित्र-15-16

दिनांक : 18.01.2016

## :-अनुज्ञा पत्र:-

सेवा में,

श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नारायण अग्रवाल,  
निवासी-560, जलेसर रोड, फिरोजाबाद।  
डायरेक्टर बॉस रियल स्टेट, प्रा0लि0।

आपका आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2015 प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं0 154/2014 के सन्दर्भ में मौजा अली नगर कैंजरा फिरोजाबाद के खसरा सं0 699(पार्ट) भाग पर क्षेत्रफल 2691.57 वर्ग मीटर तथा रोड वाइडनिंग हेतु क्षेत्रफल छोड़ते हुए शुद्ध क्षेत्र 2291.27 वर्गमी0 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत आवासीय ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (स्वीकृत मानचित्र संलग्न है)

- 1- यह मानचित्र अनुज्ञा पत्र की तिथि से 5 वर्ष तक वैध है, इसके पश्चात नवीनीकरण कराना होगा।
- 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- 3- जिस प्रयोजन के लिए ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की अनुमति दी जा रही है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अन्तर्गत अधीन दण्डनीय है। यदि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 4- अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य संलग्न आगणन के अनुसार निर्धारित समय में ही कराया जायेगा, तथा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- 5- विक्रय हस्तान्तरण किये जाने वाले प्रत्येक भवन की रजिस्ट्री की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे।
- 6- रेनवाटर हार्वेस्टिंग/पीजोमीटर की स्थापना शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वित करना होगा।

- 7- चक मार्ग /सरकारी भूमि सम्बन्धी किसी भी वाद विवाद की दशा में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 8- फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा आरोपित किये गये किये गये शुल्कों के अतिरिक्त यदि भविष्य में कोई देयता आरोपित की जाती है तो पक्ष को देय होगी।
- 9- हस्तान्तरण से पूर्व उक्त कॉलोनी में कराये जाने वाले विकास कार्यों के रख-रखाव की जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी।
- 10- गुप हाउसिंग के प्रवेश द्वारा पर एक साइन बोर्ड लगायेंगे, जिसमें गुप हाउसिंग का नाम तथा वैधता की तिथि दर्शायी जायेगी।
- 11- सभी विकास कार्य यथा वाटर लाइन, सीवर लाइन, सड़क, नाली, पार्क, आदि लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार पूर्ण कराने होंगे।
- 12- विक्रय पत्र /हस्तान्तरण विलेख में गुप हाउसिंग के मानचित्र की स्वीकृत तिथि, वैधता अवधि व बन्धक रखे गये भवनों का विवरण तथा अन्य शर्तों का उल्लेख किया जायेगा।
- 13- प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखे गये भवन (मानचित्र के अनुसार) विकास कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार अवमुक्त किये जायेंगे।
- 14- 125 वृक्ष प्रति हेक्टेयर खुले क्षेत्र में वृक्ष लगाना आवश्यक होगा।
- 15- फायर हाइड्रेंट आदि का नियमानुसार प्राविधान कराना होगा।
- 16- पेयजल व्यवस्था हेतु स्वयं ट्यूबवैल /उच्च जलाशय का निर्माण कराना होगा।
- 17- योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वयं के हर्जे-खर्चे पर विद्युत विभाग से अनुमति प्राप्त कर विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगा।
- 18- प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी।
- 19- उपरोक्त सभी शर्तें आपको मान्य होंगी, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

*ds*  
*18/09/16*

सचिव

फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण,  
फिरोजाबाद